

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
औरैया।

सेवा में,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक—मु०चि०अ०/एन०एच०एम०/एम०एण्ड०ई०/वाहन सूचना/2018-19/- दिनांक—

विषय— सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपद औरैया में लगे वाहनों की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र संख्या—एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/एम०एण्ड०ई०/2018-19/01/752-75 दिनांक 03.05.2018 द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु लिये गये वाहनों की सूचना राज्य स्तर पर संलग्नक प्रारूप पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है कि संलग्नक प्रारूप पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु लिये गये वाहनों की सूचना आपके समक्ष अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः अवलोकन करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
औरैया।

पृ०सं० एवं दिनांक—उपरोक्त।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक, एम०एण्ड०ई०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० उ०प्र०, लखनऊ
2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल कानपुर।
3. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, सिपसा/एन०एच०एम०, कानपुर नगर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
औरैया।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
औरैया।

सेवा में,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक—मु०चि०अ०/एन०एच०एम०/एम०एण्ड०ई०/वाहन सूचना/2018-19/

दिनांक—

विषय— सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपद औरैया में लगे वाहनों की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र संख्या—एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/एम०एण्ड०ई०/2018-19/01/752-75 दिनांक 03.05.2018 द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु लिये गये वाहनो की सूचना राज्य स्तर पर संलग्नक प्रारूप पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है कि संलग्नक प्रारूप पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु लिये गये वाहनो की सूचना आपके समक्ष अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः अवलोकन करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
औरैया।

पृ०सं० एवं दिनांक—उपरोक्त।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक, एम०एण्ड०ई०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० उ०प्र०, लखनऊ
2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल कानपुर।
3. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, सिफसा/एन०एच०एम०, कानपुर नगर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
औरैया।

Supportive Supervision Vehicle Hiring - Block wise information 2018 - 19

S.No.	Name of division	Name of District	Block Name	Vehicle No.	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Kanpur	Auraiya	Ajeetmal	UP79T6080	01-08-2018	Yes
2			Bidhuna	UP79T5933	01-08-2018	Yes
3			Dibiyapur	UP32GN9224	01-08-2018	Yes
4			Achalda	UP78DN1741	01-08-2018	Yes
5			Sahar	UP79M9749	01-08-2018	Yes
6			Ayana	UP75M7455	01-08-2018	Yes
7			Airwakatra	UP14ET8974	01-08-2018	Yes

Supportive Supervision Vehicle Hiring - District Level information 2018 - 19

S.No.	Name of district	Name of Agreement Signing Officer	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehicle No-2	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Auraiya	CMO Auraiya	UP32HN4416	01-08-2018	UP78DT7883	01-08-2018	Yes


DPM
Auraiya


Puneet Kumar
Junior Assistant
CMO Office Auraiya


CMO
AURAIYA



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EG 880300

अनुबन्ध-पत्र

दिनांक - 31, जुलाई, 2018

यह अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति, औरैया की ओर से मॉनिटरिंग एवं सपोर्टिव सुपरवीजन के अन्तर्गत ब्लाक स्तरीय चिकित्सालयों एवं मुख्यालय पर अधिकारियों के भ्रमण हेतु किराये पर लिये जाने वाले वाहनो हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति औरैया (प्रथम पक्ष) एवं मैसर्स सत्यभामा कन्सल्टैन्सी सर्विस प्रोवाइडर, प्रा0लि0 1/341 श्रृषि नगर शुक्लागंज उन्नाव (डायरेक्टर-राजेश कुमार मिश्रा) (द्वितीय पक्ष) के बीच किया जा रहा है। अनुबन्ध की शर्तें निम्नप्रकार हैं-

1. यह अनुबन्ध आज दिनांक 31.07.2018 से प्रारम्भ होकर दिनांक 30.07.2020 की मध्य रात्रि तक अथवा नई निविदा होने तक के लिये किया जा रहा है।
2. द्वितीय पक्ष ने इस हेतु जमानत धनराशि रु0 45000/- जिला स्वास्थ्य समिति, औरैया के पक्ष में प्लेज कराते हुये जमा की है द्वितीय पक्षकार द्वारा इस अनुबन्ध की शर्तों को पूरा न करने पर या उल्लंघन करने पर अनुबन्ध/निविदा रद्द करने निरस्त करने की स्थिति में यह जमानत धनराशि जब्त कर शासन के खाते में जमा कर दी जायेगी।
3. द्वितीय पक्षकार को किसी भी धनराशि पर कार्यालय/शासन द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।
4. आयकर एवं अन्य समस्त कर वैधानिक देयताओं की कटौती नियमानुसार सफल निविदादाता द्वितीय पक्ष के बिल से की जायेगी।
5. द्वितीय पक्षकार को कोई भी भुगतान अग्रिम नहीं किया जायेगा।
6. इस अनुबन्ध के परिपालन में द्वितीय पक्षकार को मतभेद/विवाद होने पर उसके निस्तारण हेतु द्वितीय पक्षकार मुख्य चिकित्साधिकारी, औरैया को लिखित में सूचित करेंगे।
7. द्वितीय पक्ष को शासन द्वारा निर्धारित समस्त करों का भुगतान करना होगा, जिला स्वास्थ्य समिति, औरैया द्वारा किसी भी कर आदि का वहन नहीं किया जायेगा।
8. निविदा 30 जुलाई 2020 तक अथवा वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर समान शर्तों एवं नियमों पर दोनों पक्षों की सहमति पर अगली निविदा होने तक के लिए मान्य होगी।
9. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सभी वाहन आर0टी0ओ0 द्वारा अधिकृत टैक्सी परिमित वाहन ही प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये जायेगे।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी वाहनों के ड्राइवर के पास ट्रान्सपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
11. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त वाहनों का पंजीकरण 2014 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

76550
Director
a Consultancy Service Provider

2. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी वाहन जी0पी0आर0एस0 युक्त होना आवश्यक है तथा सभी वाहनों की जी0पी0आर0एस0 डाटा की इनवाइस प्रत्येक माह बिल के साथ प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी वाहनों में मॉनिटरिंग एवं सपोर्टिव सुपरवीजन के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लोगो लगाना अनिवार्य होगा।
14. द्वितीय पक्ष द्वारा मॉनिटरिंग एवं सपोर्टिव सुपरवीजन के अन्तर्गत कम से कम 25 दिन प्रति माह वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा यदि वाहन अपरिहार्य कारणों वश मॉनिटरिंग एवं सपोर्टिव सुपरवीजन के लिये नहीं जा पाती है तो वाहन को उस दिन अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी उपयोग किया जा सकता है।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये गये वाहनों की संख्या आवश्यकतानुसार राज्य स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार घट बढ़ सकती है।
16. प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से किये गये दर अनुबन्ध को पूर्ण रूप से या कुछ भाग को समाप्त करने का अधिकार रखता है और दर अनुबन्ध को पुनः संशोधित किया जा सकता है यदि
क. फर्म/एजेन्सी लिक्विडेशन हो जाती है या बैंककूट हो जाती है।
ख. एजेन्सी समय पर वाहन उपलब्ध कराने में असफल होती है।
17. द्वितीय पक्ष को वाहनों का भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा एवं बिल प्रस्तुत करते समय जी0पी0आर0एस0 डाटा इनवाइस एवं लॉगबुक की सम्बन्धित भ्रमण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
18. प्रथम पक्ष द्वारा दिये गये शेड्यूल एवं समय का कड़ाई से पालन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। शेड्यूल व समय का पालन द्वितीय पक्ष द्वारा न करने पर अथवा क्रियान्वयन देरी करने पर प्रथम पक्ष निम्न अधिकार रखता है—
क. समय से वाहन उपलब्ध न होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष (एजेन्सी) की लागत व जोखिम पर टैक्सी किराये पर ले ली जायेगी एवं रू0 1000 प्रति दिन की दर से बतौर दण्ड के रूप में द्वितीय पक्ष के बिल से कटौती कर ली जायेगी।
ख. दर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं सिक्थोरिटी/जमानत की धनराशि जब्त करने का अधिकार होगा।
19. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को एक माह का नोटिस देने के उपरान्त किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु किये गये अनुबन्ध को निरस्त करने का अधिकार होगा अथवा किये गये अनुबन्ध में परिवर्तन का अधिकार होगा।
20. द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार के सभी क्लेम्स की क्षति पूर्ति, मांग, लागत, खर्च, ईनाम, मुआवजा इत्यादि हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा प्रथम पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
21. यदि दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद होता है और 30 दिन के अन्दर विवाद सुलझता नहीं है उस स्थिति में दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष आर्बिट्रेशन एवं कन्सोलियेशन एक्ट 1996 के अन्तर्गत दो सप्ताह के अन्दर आर्बिट्रेशन के लिए सन्दर्भित कर सकता है। विवादित मामलों में न्यायक्षेत्र औरैया तक सीमित रहेगा और सम्बन्धित सम्भाग का आयुक्त आर्बिट्रेटर होगा।
22. द्वितीय पक्ष द्वारा किराये पर उपलब्ध कराये गये वाहन को दिन में कम से कम 08 घण्टे उपलब्ध कराना होगा।
23. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन को प्रत्येक दिन गेराज से गेराज के मध्य (अधिकतम 20 कि0मी0) की छूट अनुमन्य रहेगी।
24. द्वितीय पक्ष द्वारा मॉनिटरिंग एवं सपोर्टिव सुपरवीजन में उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन हेतु माह में कम से कम 1500 कि0मी0 चलाना आवश्यक है। यदि वाहन 1500 कि0मी0 से कम चलता है तब ऐसी स्थिति में अनुपातिक रूप से भुगतान काट लिया जायेगा।
25. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन जनपद से बाहर भ्रमण हेतु प्रशासनिक कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपयोग किये जा सकते हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
औरैया

20/06/2020



26. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन की लॉग बुक में समय का विस्तृत विवरण, माइलेज और सम्बन्धित मॉनिटरिंग एवं सपोर्टिव सुपरवीजन के अधिकारी के हस्ताक्षर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
27. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन में सफेद शीट कवर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
28. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनो के शीट कवर नियमिति तौर पर साफ रहना चाहिए और नियमित रूप से परिवर्तित होते रहना चाहिए।
29. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त वाहनो के रीडिंग मीटर नियमित तौर पर क्रियाशील रहना चाहिए एवं वाहनो की लॉगबुक का सम्बन्धित ड्राइवर द्वारा रख-रखाव करना होगा।
30. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त वाहन बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के बिना परिवर्तित नहीं किये जायेंगे।
31. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनो के ड्राइवर प्रॉपर यूनीफार्म में रहना आवश्यक होगा जोकि द्वितीय पक्ष द्वारा ही उपलब्ध करायी जायेगी।
32. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी वाहन को रिपेयर के कारण या किसी दुर्घटना के कारण वाहन उपलब्ध नहीं करा पाता है तब द्वितीय पक्ष द्वारा वैकल्पिक स्तर पर तुरन्त वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में 1000 रु0 प्रति दिन के आधार पर दण्ड स्वरूप बिल से कटौती प्रथम पक्ष द्वारा कर ली जावेगी एवं प्रथम पक्ष द्वारा दूसरा वाहन किराये पर द्वितीय पक्ष (एजेन्सी) की लागत से ही इस परिस्थिति में ले लिया जायेगा।
33. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्येक वाहन में पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। मॉनिटरिंग एवं सपोर्टिव सुपरवीजन के किसी अधिकारी से किसी प्रकार की धनराशि के लिए नहीं कहा जायेगा।
34. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध करने से पूर्व सभी वाहनो को निरीक्षण करने हेतु उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
35. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन के ड्राइवर का मोबाइल न0 उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
36. प्रथम पक्ष अधिकार रखता है कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध अवधि के दौरान निविदा में उपलब्ध कराये गये वाहनो का मांग किए गये कुल वाहनो का 25 प्रतिशत वाहन आवश्यकतानुसार कम या अधिक भी कर सकता है।
37. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को मॉनिटरिंग एवं सपोर्टिव सुपरवीजन के अन्तर्गत निविदा में आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी निम्न दरों पर वाहन उपलब्ध कराने होंगे।

क्र0सं0	वाहन विवरण	कुल वाहन संख्या	दर विद टैक्स प्रति वाहन प्रति माह
1.	Monthly rental (8 hr min daily Full month & min. 1500km) Monitoring & Supportive Supervision Programme	09	32250.00 (बत्तीस हजार दो सौ पचास)

38. द्वितीय पक्ष द्वारा जो दरें निविदा के दौरान दी गई है वह निविदा अवार्ड जारी होने की तिथि से कम से कम दो वर्ष के लिए लागू होगी और यह द्वितीय पक्ष द्वारा स्वीकार होगी।
39. निविदा अवधि के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किराये पर दिये गये वाहनो की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रत्येक वाहन की उपलब्ध कराई गयी दर में केन्द्रीय व राज्य जी0एस0टी0 शामिल होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये प्रति वाहन की दरों में ईंधन की लागत, ड्राइवर की लागत, वाहन का रख-रखाव और किसी भी प्रकार की अन्य लागत (मेटेरियल, लेबर कॉस्ट, परिवहन लागत, करों में परिवर्तन) शामिल होगा। उक्त अनुमोदित दरों के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जोधपुर

21054/167

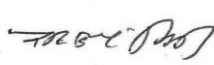


40. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये गये समस्त वाहन टैक्सी परमिट वाहन ही अनुमन्य होंगे, भविष्य में यदि जाँच में कोई वाहन प्राइवेट पाया जाता है एवं कोई अभिलेख असत्य/फर्जी पाये जाते हैं तो समस्त उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सदस्य सचिव/जिला स्वास्थ्य समिति, औरैया

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)


मैसर्स सत्यभामा कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्रा. लि.
प्रा0लि0 1/341 श्रृषि नगर शुक्लागंज उन्नाव
(डायरेक्टर-राजेश कुमार मिश्रा)



साक्षी


हस्ताक्षर
D.P.M.
D.P.M.U-N.R.H.M
नाम व पूरा पता
ABRAHYA (U.P.)
अनिस अमन अमन
जिला कारागार प्रबन्धक
रम-रम-रम, औरैया

साक्षी


हस्ताक्षर
नाम व पूरा पता-
Dr. Anil Mishra
BEMO (R.M.)
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आर.सी.एस. औरैया